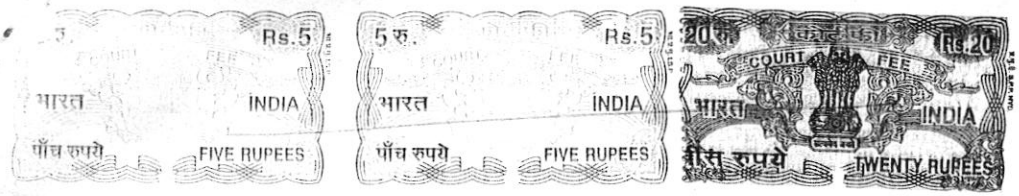

Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

66
Rs.30/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

रिव्यू 5414-III/16

पुनर्विलोकन आवेदन क्रमांक ..../16

अधि० श्री शिवप्रसाद द्विवेदी,
द्वारा प्रस्तुत 22-9-16

1. रामकिशोर तनय भूरा काछी उम्र 37 वर्ष

2. राजभान तनय भूरा काछी उम्र 41 वर्ष

3. राजेश तनय भूरा काछी उम्र 32 वर्ष

4. सुरेश तनय भूरा काछी उम्र 28 वर्ष

5. श्रीराम उम्र 22 वर्ष तनय रामनिवास काछी

6. कमलेश उम्र 25 वर्ष तनय रामनिवास काछी

7. मानवती उम्र 48 वर्ष तनय रामनिवास काछी

सभी निवासी ग्राम हर्दी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 --**आवेदकगण**

बिरुद्ध

1. समल काछी (मृत) द्वारा विधिक वारिसानः-

अ. वृन्दा काछी उम्र 56 वर्ष तनय समल काछी

ब. गुड्डी पुत्री समल काछी

निवासी ग्राम हर्दी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

2. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर रीवा म0प्र0 ---**अनावेदकगण**

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश श्री के.सी.जैन सदस्य राजस्व मंण्डल ग्वालियर दिनांक 19.08.16 जो निगरानी प्रकरण क्रमांक 485-III/08 मे पारित।

मान्यवर,

आवेदन से संबंधित तथ्य निम्न हैः-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5414–दो/2016 पुनरावलोकन जिला –रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 485–तीन/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–8–16 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 19–8–16 का अवलोकन किया गया। उन्होंने निर्णीत किया है कि तहसीलदार व्दारा भूमि सर्वे कमांक 546 रकबा 0.47 डि. पर खसरे में अंकित चले आ रहे व्यवस्थापन शब्द को विलोपित किया है किसी हक या स्वत्व के बारे में विनिश्चय नहीं किया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 586/05–06 में पारित आदेश दिनांक 11–3–14 से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 31–10–02 को निरस्त किया है। संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार दिये हैं – 1. नवीन या सारपूर्ण साक्ष्य ज्ञात होना जो पक्षकार के ज्ञान में आदेश दिये जाने से पूर्व नहीं रही और उसके व्दारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। 2. मामले के अभिलेख से ही कोई प्रकट भूल या गलती । 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके है कि उक्त में से	

किन आधारों पर तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 485–तीन/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–8–16 को पुनरावलोकन लिया जाय। पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से अमान्य किया जाता है।

सदस्य